



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042026-271660
CG-DL-E-09042026-271660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2026/चैत्र 19, 1948

No. 239]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2026/CHAITRA 19, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 259(अ).— केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 89 के खंड(2) और खंड(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, दिल्ली को छोड़कर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2007 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, दिल्ली को छोड़कर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, दिल्ली को छोड़कर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2007 के नियम 8 में, "अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 47/5/2023-आर एंड आर]

पीयूष सिंह, अपर सचिव

टिप्पण: संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, दिल्ली को छोड़कर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्य की वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2007, भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड(i) में अधिसूचना संख्या

सा.का.नि. 211(अ), तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 488(अ), तारीख 13 जुलाई, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2026

G.S.R. 259(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of section 89 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories except Delhi (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Member) Rules, 2007, namely:-

1. (1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories except Delhi (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Member) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories except Delhi (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2007, in rule 8, for the words, brackets and figures, "**Contributory Provident Fund Rules (India), 1962**", the words and figures, "**Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952**" shall be substituted.

[F. No. 47/5/2023-R&R]

PIYUSH SINGH, Addl. Secy.

Note: The Joint Electricity Commission for Union territories except Delhi (Salary, allowances and other Conditions of services of Chairperson and member) Rules, 2007 were published in the Gazette of India, part II, Section 3, sub-section(i), vide notification number G.S.R. 211(E), dated the 19th March, 2007 and amended vide Notification number G.S.R. 488(E), dated the 13th July, 2021.